"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2013—चैत्र 22, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्रमांक एफ 9-3/2013/1/5.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर में स्थित नवनिर्मित मंत्रालय भवन का नाम "महानदी भवन" घोषित करती है. तद्नुसार नवनिर्मित मंत्रालय भवन के संबंध में "महानदी भवन" नाम का उपयोग समस्त शासकीय पत्राचार में किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 04 मार्च 2013

क्रमांक 392/एफ 2-12/2013/स्था/चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) ये नियम संचालनालय, छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 कहलाएंगे। (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के मामले में संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ तथा प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के पदों के मामले में छत्तीसगढ़ शासन,

(ख) **"आयोग"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग.

(ग) **"समिति"** से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन नियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु गठित समिति,

(घ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा,

(ङ.) **"शासन"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन,

(च) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(छ) **"अन्य पिछड़ा वर्ग"** से अभिप्रेत है, शासन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ–8–5–पच्चीस –4–84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग,

(ज) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(झ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(ञ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य,

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है, संचालनालय, छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा;

(ठ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से एवं स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय—समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा एवं मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची—चार में विनिर्दिष्ट है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल अथवा स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि शासन द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाये जाने वाले मानदण्ड एवं भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व अनुमोदन के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जो कि लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात् उसके अधिकारिता के अधीन पद एवं सेवा के संबंध में हो।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथासंशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुवित्त, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन के लिए पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(1)आयु– (क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में यथा दर्शित आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथा दर्शित आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित हों तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(पाँच) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

टीप– (एक) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, सीधी भर्ती परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्याग–पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(दो) उपरोक्त यथा उल्लिखित आयु में छूट की शर्तों के अलावा किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(2) **शैक्षणिक अर्हता.–** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें एवं अनुभव होना चाहिए जैसा कि अनुसूची–तीन के कॉलम (6) में दर्शित है।

(3) **फीस** – अभ्यर्थी को शासन द्वारा यथा विहित. फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.–** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नयुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.–** चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती.–** (1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अन्तरालों से ली जाएगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करे।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी।

(3) सेवा भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। ऐसा आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (Horizontal & Compartmentwise) होगा। पदों को शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार भरा जायेगा।

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो (गैर–क्रीमि–लेयर) के सदस्य हैं, नियुक्ति पर उसी क्रम में विचार किया

जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(7) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियां शासन के आदेश के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों के बीच से भरी जाएंगी तथा पश्चात्वर्ती चयन के दौरान, अतिरिक्त रिक्तियों की समतुल्य संख्या, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियो के लिए आरक्षित रहेगी :

परंतु अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियो के लिए आरक्षित रिक्तियो की कुल संख्या (जिसमें अग्रगणित (कैरी फारवर्ड) रिक्तियां भी शामिल हैं) विज्ञापित कुल रिक्तियों के पैंतालिस प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक नही होगी।

(8) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) के अभ्यर्थियों की, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(9) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्तियों के लिए पद राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिनियम/नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रहेंगे।

चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.– (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रिमीलेयर) के उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा

में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आयें हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु, इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी जो सामान्यतया एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए, अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार होगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेगी।

14. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये पात्रता की शर्तें.–** (1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उस पद में जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर, (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार रहेगा।

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरे जाने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी।

(2) उपयुक्त अभ्यर्थियों/अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, अधीनस्थ सिविल सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।

(5) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार अनुसूची–चार के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसे व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो,केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **आयोग से परामर्श.**— (1) शासन द्वारा नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जाएगी:—

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख जिनका सूची में की गई अनुशंसा के अनुसार अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति के द्वारा अभिलिखित किये गये कारण।

(2) यदि आयोग के अध्यक्ष/सदस्य जो आयोग/अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया गया हो, समिति में उपस्थित रहे हों तथा बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो उप—नियम (1) के अधीन की जाने वाली उपरोक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप खण्ड (ग) के अधीन आयोग से परामर्श की अपेक्षा का अनुपालन किया गया समझा जायेगा तथा आयोग से पृथक से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी।

17. **चयन सूची.**— (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति हेतु चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी:

परन्तु, चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध के अनुसार सूची में आये हों।

(2) सामान्यतः ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो की सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति/आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा

प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

19. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

20. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो ।

22. **निरसन और व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों/आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण एवं अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
		स्थायी	अस्थायी	कुल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	संयुक्त संचालक		1	1	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	15600—39100	7600
2.	प्रोग्रामर		1	1	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600—39100	5400
3.	सहायक लेखाधिकारी		1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300—34800	4300
4.	सहायक प्रोग्रामर		1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300—34800	4300
5.	डाटा एन्ट्री आपरेटर		2	2	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	2400
6.	स्टेनोग्राफर हिन्दी		1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	2800
7.	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी		1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	2800
8.	सहायक ग्रेड—2		1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	2400
9.	सहायक ग्रेड—3		1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	1900
10.	वाहन चालक		2	2	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	1900
11.	भृत्य		2	2	अराजपत्रित चतुर्थ श्रेणी	4750—7440	1300

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)

भर्ती की प्रकिया

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			सीधी भर्ती हेतु समिति के सदस्य	टिप्पणियां
				सीधी भर्ती/चयन द्वारा नियम 6 (1) (क) देखिये	पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिये	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियम 6 (1) (ग) देखिये		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा	1.संयुक्त संचालक	1	—	—	100%		राज्य वित्त सेवा की प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित
		2. सहायक लेखाधिकारी	1	—	—	100%		अधीनस्थ लेखा सेवा की प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित
		3. प्रोग्रामर	1	100%	—	—	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का सदस्य–अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग —सदस्य 3. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ —सदस्य 4. यदि उपरोक्त समिति	

							में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ आरक्षित प्रवर्ग से वरिष्ठ अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करेगा।	
		4. सहायक प्रोग्रामर	1	—	100%	—	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ —अध्यक्ष	
							2. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ द्वारा नामानिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त संचालक/उप संचालक के वेतनमान से कम न हो—सदस्य	
							3. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ द्वारा नामानिर्दिष्ट कोई तकनीकी अधिकारी —सदस्य	
							4. आरक्षित प्रवर्ग से एक	

							प्रतिनिधि अधिकारी —सदस्य	
		5. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	100%	—	—	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ द्वारा नामानिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त संचालक/उप संचालक के वेतनमान से कम न हो—अध्यक्ष	
							2. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ द्वारा नामानिर्दिष्ट कोई तकनीकी अधिकारी —सदस्य	
							3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी —सदस्य	
		6.शीघ्रलेखक	2	100%	—	—	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणली छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त संचालक/उप संचालक के वेतनमान से कम न हो —अध्यक्ष	
							2. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना	

							प्रणाली छत्तीसगढ़ द्वारा नामानिर्दिष्ट कोई तकनीकी अधिकारी –सदस्य	
							3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी –सदस्य	
		7. सहायक ग्रेड–2	1	–	100%	–	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली – छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त संचालक / उप संचालक के वेतनमान से कम न हो –अध्यक्ष	
							2. संचालक / आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त संचालक / उप संचालक के वेतनमान से कम न हो –सदस्य	
							3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी –सदस्य	
		8. सहायक ग्रेड–3	1	100%	–	–	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़	

							द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त संचालक/उप संचालक के वेतनमान से कम न हो —अध्यक्ष	
							2. संचालक /आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त संचालक/उप संचालक के वेतनमान से कम न हो —सदस्य	
							3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी —सदस्य	
		9. वाहन चालक	2	100%	—	—	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त संचालक/उप संचालक के वेतनमान से कम न हो —अध्यक्ष	
							2. संचालक /आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त	

							संचालक / उप संचालक के वेतनमान से कम न हो —सदस्य	
							3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी —सदस्य	
		10. भृत्य	2	100%	—	—	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त संचालक / उप संचालक के वेतनमान से कम न हो —अध्यक्ष	
							2. संचालक /आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त संचालक / उप संचालक के पेतनमान से कम न हो —सदस्य	
							3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी —सदस्य	

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा	प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष	बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कम्प्यूटर साईस अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष	(एक) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण अथवा 10 वीं बोर्ड उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा। (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।
		शीघ्रलेखक	21 वर्ष	30 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या (10+2) उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से:– (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए, हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन कमशः 100 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिये। (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए, अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन कमशः 100 शब्द प्रति मिनट एवं 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिये। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा 10,000 (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।

		सहायक ग्रेड–तीन	21 वर्ष	30 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
					2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र; तथा
					3. कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।
		वाहन चालक	21 वर्ष	30 वर्ष	1. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
					2. वाहन चलाने के वैध ड्राइविंग लायसेंस सहित वाहन चलाने का अनुभव।
		भृत्य	21 वर्ष	30 वर्ष	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से प्राथमिक शाला परीक्षा (कक्षा–पाँच) उत्तीर्ण होना चाहिए।

टीपः– छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची—चार
(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	डाटा एन्ट्री आपरेटर	सहायक प्रोग्रामर	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ में डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर 6 वर्ष का अनुभव	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ —अध्यक्ष 2. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ द्वारा नामानिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त संचालक/उप संचालक के वेतनमान से कम न हो—सदस्य 3. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ द्वारा नामानिर्दिष्ट कोई तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी—सदस्य	
	सहायक ग्रेड—तीन	सहायक ग्रेड—दो	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड—तीन के पद पर 5 वर्ष का अनुभव	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त संचालक/उप संचालक के वेतनमान से कम न हो —अध्यक्ष 2. संचालक/आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त संचालक/उप संचालक के वेतनमान से कम न हो —सदस्य 3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी—सदस्य	

Naya Raipur, the 4th March 2013

No. 392/F 2-12/2013/Est/Four.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, relating to the recruitment and conditions of services to members of the Chhattisgarh Financial Management and Information System Services, namely :—

RULES

1. **Short Title and Commencement.-** (1) These Rules may be called the "Directorate, Chhattisgarh Financial Management and Information System Services (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012.
(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Appointing Authority"** in respect of the service means Director, Financial Management and Information System Chhattisgarh in case of Class III and Class IV posts, and Government of Chhattisgarh in case of Class I and Class II posts;
(b) **"Commission"** means Chhattisgarh Public Service Commission;
(c) **"Committee"** means the committee constituted for selection of candidates for the appointment or promotion under these rules;
(d) **"Examination"** means the competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of these Rule;
(e) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;
(f) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;
(g) **"Other Backward Classes"**, means Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F-8-5 XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
(h) **"Schedule Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India ;
(i) **"Scheduled tribes"**, means Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
(j) **"State"**, means the State of Chhattisgarh;
(k) **"Service"**, means the Directorate, Chhattisgarh Financial Management and Information System services;
(l) **"Schedule"** means a schedule appended to these rules.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.-** The service shall consist of the following persons, namely:-

(i) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;
(ii) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
(iii) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these Rules;

5. **Classification, scale of pay, etc.-** The classification of the service, number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto; shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.-** (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;
(b) By promotion of members of the service as specified in Schedule-IV;
(c) By transfer/deputation of persons, who hold, in a substantive or officiating capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf by the Government;

(2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment and norms for selection to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be

required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, Appointing Authority may, after approval of the General Administration Department of the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in sub-rule (1), after prior consultation with Public Service Commission regarding the posts/service under it's jurisdiction.

(5) At the time of recruitment to the service, the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of State Government shall apply.

7. **Appointment to the service.-** All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for the Direct Recruitment/Selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely

(1)Age- (a)A candidate must have attained the age as indicated in column (4) of Schedule-III and not have attained the age as indicated in column (5) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-Creamy Layer).

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for women candidates in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are/or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below, namely:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant, should not be more than 38 years of age.
(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees and work-charged employees.
(iii) A candidate, who is a "retrenched Government Servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation - The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or any of its constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in the establishment, not more than three years prior to the date of his registration at/ with the employment exchange or of an application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence services previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation - The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus, as a result of the recommendations of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment, not more than 3 years before the date of his registration at any Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government service namely:-

(i) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) completion of short term engagement;

(b) fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including Short Service Regular Commissioned Officers);

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to 2 years in respect of green card holder candidates under Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme as per Chhattisgarh Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984

(h) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveer Chandra Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder.

(i) The upper age limit shall also be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporation/Boards.

(j) The upper age limit shall also be relaxable in the case of voluntary Home Guards and Non-commissioned Officers of Home Guards for the period of home guard service rendered so by them, subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (i) The candidates who are admitted to the direct recruitment examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8 clause (d) (i) and (ii), shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(ii) Except conditions for relaxation of age as mentioned above in no other case age limits shall be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(k) After Providing relaxation on the basis of anyone or more of the above categories the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years in any case.

(l) Apart from above, the directions issued by the General Administration Department of the State Government, in respect of age limit, from time to time, shall also be applicable.

(2)**Educational Qualifications and Experience.-** The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for the service as shown in Column (6) of Schedule-III.

(3)**Fees.-** The candidate must pay the fees as prescribed by the Government

9. **Disqualification.-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidate shall be final.-** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/selection.

11. **Direct Recruitment by selection/competitive Examination.-** (1) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) The competitive examination/Selection shall be conducted by Commission/Appointing Authority in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.

(3) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(4) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise. Posts shall be filled up in accordance with the roster prescribed by the Government.

(5) In filling up the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(6) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the appointing authority/Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (3), as the case may be.

(7) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be filled from among the general candidates according to the orders of the Government and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, during the subsequent selection:

Provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed forty five per cent of the total vacancies advertised.

(8) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent authority may relax the condition of experience to the candidate of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(9) In addition to above, the post for disabled shall be reserved in accordance with the Act/Rules/Order/Instructions issued by the General Administration Department of State Government from time to time.

12. **List of candidates recommended by Selection Committee.-** (1) The selection committee shall prepare and forward a list, to the appointing authority, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determine by the Selection Committee and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who though not qualified by such standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be publisned for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Appointment by Promotion.-** (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that, under this sub-rule, for constitution of the committee, The provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) For promotion of the members of the service, from the posts as specified in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified in column (3) of the said schedule, the eligibility of candidate, selection procedure and appointment through promotion shall be in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion/transfer.-** (1) The Committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of the service (whether officiating or substantive) on the posts, from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration, in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of computation for eligibility for promotion- The calculation of the period of qualifying services on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/ Screening Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/post of the service/pay scale of the post.

(2) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

15. Preparation of list of suitable Candidates.- (1) The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list. In addition to this, a Reserve List shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of above said period.

(2) The list of suitable candidates/officers shall be prepared as per the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the subordinate civil services, then the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

(5) The name of person included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list as per Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation- The person, whose name is included in a Select List, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Consultation with Commission.- (1)The list prepared in accordance with rule 15 by the Government shall be sent to the Commission alongwith following documents:-

(One) the records of all the persons included in the list.

(Two) the records of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV, who are proposed to be superseded as recommended in the list.

(Three) recorded reasons of the Committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(2) If the Chairman of Commission/Member who is nominated by the Commission/Chairman is present in the committee and if all members of the Committee including Chairman have signed on the proceedings of the meeting, then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the commission under sub-clause (c) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the commission shall not be necessary .

17. **Select List.-** (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (3) of said Schedule.

(2) The select list for promotion shall ordinarily be valid for the period of one year from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the Service from the Select List.-** (1) Appointment of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which their names appear in the list in accordance with the provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee/ Commission before appointment of a person, whose name is included in the select list to the service, unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. **Probation.-** Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these Rules.

22. Repeal and Saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions/orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. J. KHATRI, Joint Secretary.

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

Classification of Service, Pay scale and Number of the Posts included in the Service.

S. No.	Name of the Post included in the Service	Number of Posts			Classification	Pay-Scale	Grade Pay
		Permanent	Temporary	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Joint Director		1	1	Gazetted Class I	15600-39100	7600
2.	Programmer		1	1	Gazetted Class II	15600-39100	5400
3.	Assistant Account Officer		1	1	Non-gazetted Class III	9300-34800	4300
4.	Assistant Programmer		1	1	Non-gazetted Class III	9300-34800	4300
5.	Data Entry Operator		2	2	Non-gazetted Class III	5200-20200	2400
6.	Stenographer, Hindi		1	1	Non-gazetted Class III	52000-20200	2800
7.	Stenographer, English		1	1	Non-gazetted Class III	5200-20200	2800
8.	Assistant Grade-II		1	1	Non-gazetted Class III	5200-20200	2400
9.	Assistant Grade-III		1	1	Non-gazetted Class III	5200-20200	1900
10.	Driver		2	2	Non-gazetted Class III	5200-20200	1900
11.	Peon		2	2	Non-gazetted Class IV	4750-7440	1300

SCHEDULE-II
(See Rule 6)
Process of Recruitment

Name of the Department	Name of Service	Name of Post	Number of Posts included in the Service	Percentage of the number of posts to be filled in			Members of Committee for Direct Recruitment	Remarks
				By direct recruitment /selection vide Rule 6(1)(a)	By promotion vide Rule 6(1)(b)	By transfer or deputation vide Rule 6(1)(c)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Finance Department	Chhattisgarh Financial Management and Information system Service	1. Joint Director	1	-	-	100%		Reserved for Deputation of State Finance Services
		2. Assistant Accounts Officer	1	-	-	100%		Reserved for Deputation of Subordinate Account Services
		3. Programmer	1	100%	-		1.Chairman, Public Service Commission or member of Commission nominated by him/her - Chairman	

							2.Principal Secretary /Secretary, Finance Department - Member 3.Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh - Member 4. If there is no representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the aforesaid Committee ,the Director, Financial Management & Information System ,Chhattisgarh shall nominate senior officer from reserved class.	

		4. Assistant Programmer	1	-	100%	-	1.Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh - Chairman 2.Any officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management & Information System, Chhattisgarh - Member 3.Any Technical Officer nominated by Director, Financial Management & Information System, Chhattisgarh - Member	

							4. A representative Officer from Reserved Class-Member	
		5. Data Entry Operator	2	100%	-	-	1.Any officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management & Information System, Chhattisgarh - Chairman 2.Any Technical Officer nominated by Director, Financial Management & Information System, Chhattisgarh -Member	

							3. A representative Officer from Reserved Class -Member .	
		6. Stenographer	2	100%	-	-	1.Any officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management & Information System, Chhattisgarh -Chairman 2.Any Technical Officer nominated by Director, Financial Management & Information System, Chhattisgarh -Member	

							3. A representative Officer from Reserved Class -Member	
		7. Assistant Grade-II	1	-	100%	-	1.Any officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management & Information System, Chhattisgarh - Chairman 2.Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Commissioner /Director Treasury, Accounts & Pension, Chhattisgarh	

							-Member 3. A representative Officer from Reserved Class -Member		
		8. Assistant Grade-III	1	100%	-	-	1.Any officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management & Information System, Chhattisgarh -Chairman 2. Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Commissioner /Director Treasury,		

							Accounts & Pension, Chhattisgarh -Member 3. A representative Officer from Reserved Class -Member	
		9. Driver	2	100%	-	-	1.Any officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management & Information System, Chhattisgarh - Chairman 2.Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director,	

							nominated by Commissioner /Director Treasury, Accounts & Pension, Chhattisgarh -Member 3. A representative Officer from Reserved Class -Member	
		10. Peon	2	100%	-	-	1.Any officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management & Information System, Chhattisgarh - Chairman 2.Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy	

							Director, nominated by Commissioner /Director Treasury, Accounts & Pension, Chhattisgarh -Member 3. A representative Officer from Reserved Class -Member	

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Name of the Department	Name of the Service	Name of Post included in the Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	Chhattisgarh Financial Management and Information System Service	Programmer	21 year	30 year	Bachelor of Engineering in Computer Science Or Master Degree in Computer Applications.
		Data Entry Operator	18 year	30 year	(i) Should have passed Higher Secondary Examination (10+2) from any recognized Board OR Should have passed 10th Board and 3 year diploma course in any subject. (ii) Should have one year Diploma in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of 8000 key depression per hour in Hindi and English in computer.
		Stenographer	21 year	30 year	1. Should have passed Higher Secondary Examination or (10+2 system) or passed 1st year graduation course from any recognized Board/University.

					2. From any recognized Board/ Institution or Shorthand and Typing Council:- (a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer. (b) Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer. 3. Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and should have speed of 10,000 key depression per hour.
		Assistant Grade III	21 year	30 year	1.Should have passed (10+2) examination from any recognized Board. 2.Should have One year Diploma/Certificate in Data-entry-operator / programming from any recognized institute.

					3.should have speed of 5,000 (Key) depressions per hour of Hindi Typing in Computer.
		Driver	21 year	30 year	1.Should have passed 8th class from Institution recognized by Government, 2. Should possess valid driving license with experience of driving.
		Peon	21 year	30 year	Should have passed Primary school examination (Class-V) from Board/Institution recognized by Government.

Note:- The maximum age limit for candidates of domicile of Chhattisgarh State shall be relaxable in accordance with the directions issued by General Administration Department of State Government.

SCHEDULE-IV

(See Rule 14)

Name of the Department	Name of the Post from which Promotion is to be made	Name of the Post on which Promotion is to be made	Service Experience for Promotion	Name of the Members of the Departmental Promotion Committee (See rule 13)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	**Data Entry Operator**	**Assistant Programmer**	6 Years experience on post of Data Entry Operator in Directorate, financial Management and information System, Chhattisgarh	1.Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh -Chairman 2.Any officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, **Financial Management and Information System, Chhattisgarh** -Member 3.Any Technical Officer nominated by Director, **Financial Management and Information System, Chhattisgarh** -Member 4. A representative Officer from Reserved Class -Member	

	Assistant Grade III	Assistant Grade II	5 Years experience on post of Assistant Grade III in Directorate, Financial Management and Information System, Chhattisgarh	1.Any officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh -Chairman 2.Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Commissioner/Director, Treasury, Accounts and Pension, Chhattisgarh -Member 3. A representative Officer from Reserved Class -Member	

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2013

क्रमांक 03/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	मचहा प. ह. नं. 39	1.47	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	अमलडीहा एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्रमांक 4676 क/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बांधापाली प.ह.नं. 4	6.48	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्रमांक 4678 क/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	धोबनीपाली प.ह.नं. 5	4.21	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तरडा प.ह.नं. 43	1.645	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर (आर. डी. 7947 से 8355 मी. तक) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	देवलसुर्रा प.ह.नं. 34	7.108	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर (आर. डी. 5502 से 7347 मी. तक) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बड़े हल्दी प.ह.नं. 31	0.222	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर (आर. डी. 2895 से 2949 मी. तक) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	महलोई प.ह.नं. 34	2.407	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर (आर. डी. 7347 से 7949 मी. तक) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तुरंगा प.ह.नं. 42	4.707	कार्यपालन अभियंता, केलो परि योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक अंतर्गत तुरंगा प्रथम एवं द्वितीय तथा पडिगांव माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	घुरनपाली प.ह.नं. 31	2.098	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर (आर. डी. 2949 से 3435 मी. तक) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	दर्रीपाली प.ह.नं. 34	0.767	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर (आर. डी. 5025 से 5502 मी. तक) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में **वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने** दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने **की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक** एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा **सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है** कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी **को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा** (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				**धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी**	**सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन**
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	**(5)**	**(6)**
रायगढ़	पुसौर	सुकुलभठली प.ह.नं. 36	1.029	कार्यपालन **अभियंता, केलो** परि-योजना सर्वेक्षण **संभाग, रायगढ़.**	**केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर (आर. डी. 975 से 1230 मी. तक) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.**

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	घानाताराई प.ह.नं. 29	4.312	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर (आर. डी. 1845 से 2895 मी. तक) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	दाऊभठली प.ह.नं. 36	2.150	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर (आर. डी. 1230 से 1845 मी. तक) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	नवापारा प.ह.नं. 31	6.161	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर (आर. डी. 3435 से 5025 मी. तक) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	तराईमाल प.ह.नं. 09	38.663	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	उजलपुर प.ह.नं. 09	27.300	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बकावण्ड
- (ग) नगर/ग्राम-कौड़ावण्ड, प. ह. नं. 48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.167 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	302	0.375
	303	0.792
योग	2	1.167

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-अमरांगुड़ा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं डूबान क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्रमांक/106/प्र. 1/अ.वि.अ./2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-धुमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.625 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	21/13	3.625
योग		3.625

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कसही जलाशय के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

रा. प्र. क्र. 03 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पैलपार, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	278	0.121
	277	0.040
योग	2	0.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोटूनाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक 01 क/भू-अर्जन/2012—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-जर्वे, प.ह.नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.86 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1023/2	1.86
योग	1	1.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत राखड़ बांध निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.339 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3/1	0.092
	19/3	0.156
	94/1	0.030
	105/1	0.132
	18	0.184
	2	0.036
	94/2	0.060
	106	0.024
	16, 17	0.032
	19/2	0.220
	93	0.108
	101/2	0.101
	95	0.008
	96	0.068
	103/3	0.020
	108	0.068
योग	16	1.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकालो जलाशय की आर.बी.सी. मुख्य नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45	0.052
47/3क, 47/3ख	0.352
47/65 क	0.273
47/14ख	0.054
47/24	0.154
46	0.604
47/3ग	0.020
47/65ख	0.172
47/63	0.040
47/15	0.364
47/1	0.231

	(1)	(2)
	47/12	0.196
	47/62	0.142
	47/60	0.061
	44/3	0.016
	44/6, 46/10	2.035
	47/27	0.040
	47/14क	0.097
	47/23	0.121
	44/4	0.008
योग	16	5.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंधनपुर व्यपवर्तन योजना की दायीं मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-इन्दकालो
- (घ) लगभग **क्षेत्रफल-13.695 हेक्टेयर**

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
191	0.105
188/1	0.098
195/1	1.279
187/2क	0.074
204	0.547
219	0.101
203/4	0.061
206/3	0.202
187/2ख	0.124
214	0.069
269	0.170
187/2घ	0.024
224	0.054
216	0.408
192/2	0.060
192/1	0.069
198	0.081
196	0.251
205/1	0.178
220	0.028
203/5	0.073
207/1	0.032
60/1	0.032
221/1	0.312
203/1	0.506
206/4	0.101
222/2क	0.098
195/2	0.240
193	0.154
199	0.283
197	0.016
187/1ख	0.524
271	0.243
205/1	0.223
208	0.255
187/2ग	0.092
213	0.304
212/2	0.551
210	0.757
222/1	0.294
195/3	0.040
194	0.405
201	0.405
215	0.790
211	0.882
203/3	0.065
306/1	0.065
209	0.717
212/1	0.113

	(1)	(2)
	217	0.198
	218	0.724
	60/2	0.054
	223	0.164
योग	53	13.695

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकालो जलाशय निर्माणाधीन योजना के डूबान क्षेत्र के अन्तर्गत भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-इन्दकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.984 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	232/1क	0.064
	239	0.244
	232/1ख	0.116
	242	0.440
	260	0.060
	216	0.060
योग	6	0.984

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकालो जलाशय योजना के आर.बी.सी. मुख्य नहर के अन्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अलोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.538 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
308	0.012
304/3	0.132
303/5घ	0.024
301/3	0.116
298/2	0.164
325	0.156
369/3, 371, 372, 373, 393/3	0.036
338/10ख	0.008
132/2	0.198
304/4	0.076

(1)	(2)
304/2	0.060
300/3	0.032
299/2	0.004
307/1क	0.032
388/5	0.004
444/7क	0.090
304/1क	0.052
304/6	0.136
303/5ख	0.056
298/1	0.101
299/3	0.101
374/4	0.068
390	0.101
444/7ख	0.094
304/1ख	0.076
303/5क	0.101
301/2	0.112
323/2	0.112
326	0.036
388/2क	0.028
388/8	0.220
योग 31	2.538

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकालो जलाशय की आर.बी.सी. मुख्य नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोलाबुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.176 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
26/10	0.008
27/1, 28/1, 29/1च	0.067
34/3ख	0.032
29/10, 29/11, 29/12	0.232
17/3, 18/3	0.236
30, 31/1	0.062
34/3क	0.243
32/1	0.004
27/1, 28/1, 29/1ग	0.054
16/2	0.148
29/6	0.024
34/3ग	0.112
30, 31/2	0.142
27/1, 28/1, 29/1ङ	0.202
16/3	0.248
30, 31/3	0.008
27/1, 28/1, 29/1क	0.196
27/2, 28/2, 29/13	0.154
27/1, 28/1, 29/1घ	0.004
योग 19	2.176

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंधनपुर व्यपवर्तन योजना दायीं मुख्य नहर योजनान्तर्गत निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोलाबुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.859 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	13/1	0.004
	29/5ख	0.024
	16/1क	0.120
	29/2ग	0.050
	183/1ड	0.004
	27/1, 28/1, 29/1क	0.098
	29/2घ	0.001
	27/1, 28/1, 29/1घ	0.024
	17/2, 18/2	0.072
	192/2	0.048
	29/5क	0.028
	182/1ज	0.032
	193	0.076
	19/6	0.050
	29/2ख	0.048
	183/1घ	0.092
	185/3	0.040
	29/23	0.048
योग	18	0.859

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बंधनपुर व्यपवर्तन योजनांतर्गत शाखा नहर क्रमांक 2 के निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-विजयनगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-43.464 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2370/1	0.299
2446/3	0.202
2471/1	0.162
2388/7	0.089
2374/2	0.236
2452	0.510
2379	0.205
2315	0.214
2388/6ख	0.123
2446/1	0.405
2388/5	0.162
2451	1.708
2468/1	0.364
2371/1	0.058
2362/2	0.243
2384	0.833
2371/3	0.106
2444/3	0.547
2376	0.502
2388/9	0.470
2450	1.234
2467/3	0.195
2346	0.591
2444/2	0.541
2377/1	0.470

(1)	(2)
2388/2	0.146
2371/2	0.026
2456/1	0.147
2469	0.162
2361/3	0.057
2367/1	0.121
2444/1	1.218
2454/1	0.405
2455/1	0.196
2370/2	0.146
2455/2	0.196
2361/4	0.202
2374/1	0.316
2365	1.263
2445/2	0.551
2381/1	0.441
2388/3	0.077
2453	0.454
2457/1	0.148
2369	0.057
2468/2	0.202
2374/3	0.311
2445/1	0.563
2445/3	0.283
2467/1	0.279
2388/12	0.129
2362	0.162
2388/10	0.898
2367/2	0.122
2366	0.259
2446/2	0.202
2382/2	0.400
2388/4	0.024
2456/2	0.241
2448	0.510
2370/2	0.146
2468/3	0.202
2377/2	0.470
2449	0.496
2359	0.129
2388/8	0.170
2373/2क	0.405
2440/5	0.202
2441/2	0.304
2378	0.227
2394	0.040
2373/2ख	0.404
2443/3	0.328
2306/1	0.302
2441/1	0.505
2385	0.769
2357	0.324
2373/1ख	0.858
2441/4	0.405
2316	0.648
2237/2	0.809
2395	2.347
2306/3	0.302
2347	0.367
2440/1	0.202
2375/1	0.302
2386	1.092
2360	0.235
2380	0.263
2441/3	0.526
2393/4	0.555
2392	1.113
2393/2	1.619
2312/2	1.105
2306/2	0.302
2440/2	0.129
2312/1	0.101
2388/6क	0.120
2454/2	0.312
2440/4	0.129
2437/2	1.214
2393/1	0.060
2465	0.615
2363/1	0.417
2342	0.170
2381/2	0.267
2440/3	0.074
योग 107	43.464

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकालो जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2013

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./01/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डुमरतालाब, प. ह. नं. 104
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1105.70 वर्गमीटर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (वर्गमीटर में) (2)
	103/5	231.35
	103/24	110.00
	103/25	115.25
	99/24	178.75
	99/16	310.00
	99/7	160.35
योग	6	1105.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-एन.एच.-6 से कोटा मार्ग के कि.मी. 2/2-4 में अण्डर ब्रिज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/7665.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/7717 रायपुर, दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री एम. आर. चेलक, डिप्टी कलेक्टर को कृषि उपज मण्डी समिति, नैला का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जांजगीर-चांपा के पत्र क्रमांक 739 दिनांक 30-01-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, नैला में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री एस. के. तिवारी, डिप्टी कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एम. आर. चेलक, डिप्टी कलेक्टर का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री एस. के. तिवारी, डिप्टी कलेक्टर, जांजगीर-चांपा को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, नैला का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/7800.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/3550, दिनांक 04-09-2012 द्वारा श्री व्ही. पी. चौबे, उपसंचालक कृषि, को कृषि उपज मण्डी समिति, बालोद, जिला-बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर बालोद के पत्र क्रमांक 739 दिनांक 30-01-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, बालोद में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्रीमती पुष्पा साहू, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला बालोद का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री व्ही. पी. चौबे, उप संचालक कृषि एवं कृषि उपज मण्डी समिति, बालोद के भारसाधक अधिकारी हेतु जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/3550, दिनांक 04-09-2012 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री व्ही. पी. चौबे के स्थान पर श्रीमती पुष्पा साहू, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला-बालोद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, बालोद, जिला-बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/8060.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/7717, दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री डी. के. व्यवहार, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि सक्ती को कृषि उपज मण्डी समिति, आमनदुला, जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर जांजगीर-चांपा के पत्र क्रमांक 19598 दिनांक 04-12-2012 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, आमनदुला, जिला-जांजगीर-चांपा में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री एन. के. साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री डी. के. व्यवहार, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि सक्ती, कृषि उपज मण्डी समति, आमनदुला के भारसाधक अधिकारी हेतु जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/7717, दिनांक 21-02-2011 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एन. के. साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, आमनदुला, जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 4 मार्च 2013

क्रमांक 490/उ.न्या.वि.से./13.—श्री एन. डी. एक्का, सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर दिनांक 30-06-2012 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 212 (दो सौ बारह) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
राजेश श्रीवास्तव, प्रभारी सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 7 फरवरी 2013

क्रमांक/588/वि.लि.-1/स्था./2013.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 के नियम-8 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर, बालोद वर्ष 2013 हेतु बालोद जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष उल्लेखित पर्व/त्यौहार के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्र. (1)	पर्व/त्यौहार का नाम (2)	तिथि/माह (3)	दिन (4)	दिवस (5)
1.	पोला	05 सितंबर	गुरुवार	संपूर्ण दिवस
2.	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	04 अक्टूबर	शुक्रवार	संपूर्ण दिवस
3.	दीपावली का दूसरा दिन	04 नवंबर	सोमवार	संपूर्ण दिवस

अमृत कुमार खलखो,
कलेक्टर.